भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2735

उत्तर देने की तारीख- 04/08/2026

दिव्यांगजनों में हीमोफीलिया

2735. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हीमोफीलिया एक दुर्लभ और गंभीर दीर्घकालिक बीमारी है और इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विकलांगता माना जाता है, लेकिन इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोई लाभ उपलब्ध नहीं है;
(ख) यदि हाँ; तो सरकार द्वारा हीमोफीलिया के रोगियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में कौन से उपाय किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) अधिनियमित किया है, जो 19.04.2017 से प्रभावी है । रक्त संबंधी विकारों, जिनमें हीमोफीलिया भी शामिल है, के कारण उत्पन्न दिव्यांगता को उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तथापि, उक्त अधिनियम की धारा 34(1) के अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ केवल बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों को प्राप्त है, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं, अर्थात् दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टि; बधिर और कम सुनने वाले; गतिविषयक दिव्यांगता, जिसमें प्रमस्तिष्क घात, कुष्ठरोग उपचारित व्यक्ति, बौनापन, अम्ल आक्रमण (एसिड अटैक) से पीड़ित व्यक्ति तथा मांसपेशीय दुर्विकास शामिल हैं; स्वलीनता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता तथा मानसिक रोग; तथा इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु-दिव्यांगता, जिसमें बधिर-दृष्टिहीनता भी शामिल है।

(ख) से (घ): रक्त संबंधी विकारों, जैसे हीमोफीलिया, के कारण दिव्यांगता वाले व्यक्तियों सहित सभी दिव्यांगजनों को समान अधिकार एवं हकदारियाँ प्राप्त हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 3, 6, 7, 19, 20, 21, 24, 25, 32 तथा 37 में उपबंधित है।
